

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के उप-खंड (XIII) के तहत प्रकाशित सूचना।

इसके द्वारा प्राप्तकर्ताओं को प्रदान की गई रियायतें, अनुमति पत्रों या प्राधिकरणों का ब्यौरा ।

चूँकि जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम जी] के अंतर्गत निर्माण कार्यों का निष्पादन राज्य स्तर पर किया जाता है। अतः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कोई भी रियायत, परमिट या प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।